मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/29 पार्ट/1612 भोपाल, दिनांक 20/09/2019

प्रति,

1. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक,
   म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   आंचलिक कार्यालय ————————(समस्त)
2. कार्यपालन यंत्री
   म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   तकनीकि संभाग ————————(समस्त)
3. भारसाधक अधिकारी/सचिव
   कृषि उपज मण्डी समिति
   ———————— जिला————————
4. शाखा प्रबंधक,
   म. प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
   मुख्यालय टी. टी. नगर भोपाल

विषय :— म. प्र. राज्य मण्डी बोर्ड सेवा तथा कृषि उपज मण्डी समिति सेवा के पेंशनरों को पेंशन मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ :— म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक—एफ9—3/2019/ नियम/चार दिनांक 26 अगस्त 2019

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/29 पार्ट/212—13 दिनाक 22.04.20196 द्वारा म.प्र.शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक—एफ—9—5/2017/नियम/चार दिनांक 11 अप्रैल 2019 में उल्लेखित शर्तो और प्रतिबंधों के अधीन राज्य मण्डी बोर्ड सेवा तथा कृषि उपज मण्डी समिति सेवा के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई 2018 से छठवे वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 148 प्रतिशत की दर से एवं सांतवे वतनमान में 9 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई।

म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक—एफ9 —3/2019/नियम/चार दिनांक 26 अगस्त 2019 से पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है। इसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

अतः म.प्र. शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक—एफ9—3/2019 /नियम/चार दिनांक 26 अगस्त 2019 में उल्लेखित शर्तो और प्रतिबंधों के अधीन राज्य मण्डी बोर्ड सेवा तथा कृषि उपज मण्डी समिति सेवा के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को भी निम्नानुसार मंहगाई राहत भुगतान की स्वीकृति दी जाती है:—

सरल क्रमांक	अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत में वृद्वि की दर (प्रतिशत में)		वृद्वि के परिणामस्वरूप मंहगाई राहत में वृद्वि की दर (प्रतिशत में)	
		छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान*
01	दिनांक जनवरी 2019 से (माह जनवरी, 2019 की पेंशन/परिवार पेंशन जो फरवरी, 2019 में देय होगी।)	6%	3%	154%	12%

80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरो को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।
(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (कार्मिक)
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/29 पार्ट/1613 भोपाल, दिनांक 20/09/2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर।
2. अपर संचालक (वित्त) मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3. उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश भोपाल।
4. उप संचालक (वित्त)/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी (पेंशन) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
5. आडिट/पेंशन/मंडी कार्मिक/लेखा शाखा मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

अपर संचालक (कार्मिक)
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-3/2019/नियम/चार भोपाल, दिनांक २६ अगस्त, 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश ।

विषय- मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में ।

—▪—

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-5/2017/नियम/चार दिनांक 11 अप्रैल, 2019 के अनुसार द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2018 से छटवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 148% की दर से एवं सातवें वेतनमान में 9% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है।

2/ राज्य शासन द्वारा राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में जनवरी, 2019 से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है :-

सरल क्रमांक	अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत में वृद्धि की दर		वृद्धि के परिणामस्वरूप मंहगाई राहत की दर प्रतिशत में	
		छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान
1.	दिनांक जनवरी, 2019 से (माह जनवरी, 2019 की पेंशन/परिवार पेंशन जो फरवरी, 2019 में देय होगी)	6%	3%	154%	12%

80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी ।

3/ उपरोक्त महँगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस महँगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण

पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महँगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति / पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परन्तु यदि पति / पत्नि की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महँगाई राहत की पात्रता होगी ।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महँगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी ।

5/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होगें, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं ।

6/ महँगाई राहत के भुगतानं पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।

7/ राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्रं. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महँगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें । संचालक पेंशन, बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग